

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ /2023::लखनऊ::दिनांक::मई 09, 2023

—::आदेश::—

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय, कानपुर के पत्रांक- 189/2023 दिनांक 27.04.2023 पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय कानपुर से सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, कानपुर को अधोअंकित द्वितीय अपील नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्र० सं०	अपील सं०	फर्म का नाम	क०नि०वर्ष
1	03/2023	सर्वश्री सविता ऑयल टेक्नालॉजी लि०, 15/256 ए सिविल लाइन्स, कानपुर।	2015-16

ह०/09.05.2023

(अरविन्द मलिक)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/580/2023, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, कानपुर।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर।
- 3-असि० कमि०/रा०प्रति० पीठ-1 व 2, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
- 5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से

निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।